तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	साक्ष्यों से प्रमाणित करवाये।	
	प्रा०पत्र प्रार्थी आदेश 26R9 जा०दी० पोषणीय / स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।	
	बहस मूल प्रा०पत्र पर सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक- 8/7/2020 को पेश हो।	
	(initials)	
8/7/2020-	पत्रावली पेश। हमने मूल प्रा०पत्र पर वकील पक्षकारान के द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। वकील प्रार्थी ने कथन किया की प्रार्थी की खातेदारी भूमि 1114, 2570, 2596, 2720, 2724 कुल किता 5 कुल रकबा 13.16 बीघा व ख०स० 1117, 1118, 1119 कुल किता 3 रकबा 2.09 बीघा ग्राम लोबा की ढाँणिया मे स्थित है, जिसके प्रार्थीगण खातेदार स्वामी है। ग्राम लोबा की ढा० के ख०स० 1113 आबादी मे आम रास्ते की भूमि पर 12 फीट चौडा सी०सी० रोड बना हुआ है। अप्रार्थी ख०स० 1113 के बाद प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख०स० 1114 व 1117 पर नाली का निर्माण कर गांव के गन्दे पानी को प्रार्थीगण की भूमियो मे भरना चाहते	

P.T.O.

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(निमय 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम हिण्डोली

....

क़िस्म मुकदमा...नं.................................सन्.......................

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	11	
	है, जिसका उनको कोई हक व अधिकार नही है. यदि अप्रार्थीगण उक्त कृत्य करने मे सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति करना असंभव होगा। अतः अप्रार्थीगण को तो फैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीगण की भूमियो मे नाली निर्माण नही करे, गन्दा पानी नही निकाले। वकील अप्रार्थीगण ने खण्डन मे कथन किया की ग्राम लोधा की ढा० की आबादी ख०स० 1112 मे बसी हुई है। उक्त आबादी मे आने जाने हेतु गै०मु० रास्ता ख०स० 1113 दर्ज है, जिससे दोनो ओर नालिया बनी हुई है। उक्त बनी हुई नालियों के अलावा कोई नया निर्माण नही कर रहे है। प्रार्थीगण खातेदारी भूमि ख०स० 1114 व 1117 की आड में गै०मु० रास्ता ख०स० 1113 की सीमा मे अतिक्रमण कर नालियो को अवरुद्ध कर दिया है। प्रार्थीगण ख०स० 1114 व 1117 की आड मे ख०स० 1113 की भूमि पर किये निर्माण / अतिक्रमण पर स्टे प्राप्त करना	

P.T.O.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जंज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	②	

चाहता है, जिसका उसे कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रा०पत्र श्रवण योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे।

बाद मनन बहस प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि ख०स० 1114 व 1117 वाके ग्राम लोधा की झोंपडिया प०म० रबलाना प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है, जिस पर नाली/ड्रेन निर्माण व गन्दे पानी की निकासी करने का अप्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। प्रा०पत्र प्रार्थीगण के पक्ष मे बनता है। सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है। दौराने वाद नाली/ड्रेन निर्माण से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है। (प्रार्थीगण)

अतः प्रा०पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को तास्फैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण/प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख०स० 1114 व 1117 वाके ग्राम लोधा की झोंपडिया प०म० रबलाना की खातेदारी सीमा की हद तक कोई नाली/ड्रेन निर्माण नहीं व गंदे पानी की निकासी नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(निमय 26)

अज. अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम हिण्डोली

किस्म मुकदमा..नं.................................सन्.................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ सलग्न रहे। [signature] उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	